

// सूचना पत्र //

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर- चांपा (छ०ग०) के जिला स्थापना में रिक्त पदों वाहन चालक के कुल रिक्त पद 03 हेतु अपात्र अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति दिनांक 16-02-2026 के समय 5.30 बजे तक आहूत किया गया था। दावा आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है। जिसका अवलोकन जिला न्यायालय जांजगीर- चांपा (छ०ग०) के वेबसाइट <https://janjgir.dcourts.gov.in> में कर सकते हैं या कार्यालयीन समय पर जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा सूची का अवलोकन कर सकते हैं।

दावा आपत्ति आवेदन पत्रों का निराकरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	पंजी. क्रं.	आवेदक का नाम	पिता/ पति का नाम	आवेदन में पाई गई त्रुटि का विवरण	अर्ह/ अनर्ह किये जाने का विवरण	रिमार्क
1	1055	नंदलाल यादव	देव प्रसाद यादव	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	आवेदक को पूर्व में परिवहन/कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत नहीं करने से अपात्र किया गया है, किन्तु उनके द्वारा दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश ड्राइविंग लाईसेंस भी परिवहन/कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस नहीं होकर LMV का है, जिससे उसे अपात्र माना जावे।	अपात्र
2	905	जयराम गढ़वाल	संतराम गढ़वाल	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	आवेदक को पूर्व में परिवहन/कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत नहीं करने से अपात्र किया गया है, उनके द्वारा दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश ड्राइविंग लाईसेंस को दिनांक 28-03-2025 को बनवाया गया है, जो आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 के बाद का है, आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र नहीं होने से अपात्र माना जावे।	अपात्र
3	736	योगेश कुमार	फूलचंद दिवाकर	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची, रोजगार कार्यालय का पंजीयन एवं परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उनके द्वारा दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश ड्राइविंग लाईसेंस को दिनांक 13-01-2026 को	अपात्र

				लाईसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	बनवाया गया है, जो आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र नहीं होने से अपात्र माना जावे।	
4	863	प्रमोद	भीमबली कश्यप	रोजगार कार्यालय का पंजीयन संलग्न नहीं एवं परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र जीवित नहीं है।	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस को दिनांक 28-12-2024 को Renewal कराया गया है, आवेदक द्वारा पूर्व में पेश लाईसेंस में ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के संबंध में वैधता दिनांक 05-10-19 को समाप्त हो गयी थी, जिससे आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र नहीं होने तथा आवेदन पेश करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 के बाद ड्राइविंग लाईसेंस Renewal कराये जाने से अपात्र माना जावे।	अपात्र
5	629	अभिनेश कुमार मसीह	निर्मल मसीह	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र जीवित नहीं है।	दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस को दिनांक 01-01-2025 को Renewal कराया गया है। आवेदक द्वारा पूर्व में पेश ड्राइविंग लाईसेंस में ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के संबंध में वैधता दिनांक 30-08-2022 को समाप्त हो गयी थी, जिससे आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस का प्रमाण पत्र नहीं होने तथा आवेदन पेश करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 के बाद ड्राइविंग लाईसेंस Renewal कराये जाने से अपात्र माना जावे।	अपात्र

6	252	विकास पटेल	मुनीराम पटेल	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। लर्निंग लाइसेंस संलग्न होने से मान्य नहीं।	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने से पात्र माना जावे।	पात्र
7	983	रोशन कुमार	स्व. प्रेमलाल	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची संलग्न नहीं है।	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने का अंकसूची प्रस्तुत करने से पात्र माना जावे।	पात्र
8	864	गांधी कुमार भारद्वाज	करमहा भारद्वाज	मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पात्र माना जावे।	पात्र
9	623	कन्हैया लाल कंवर	गोकुल सिंह	मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पात्र माना जावे।	पात्र
10	41	उमैद लाल बिंझवार	खीकराम बिंझवार	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र जीवित नहीं है।	दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को दिनांक 14-05-2025 को Renewal कराया गया है, आवेदक द्वारा पूर्व में पेश लाइसेंस में ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के संबंध में वैधता दिनांक 11-03- 2017 को समाप्त हो गयी थी, आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र नहीं होने तथा आवेदन पेश करने के अंतिम तिथि 15- 05-2024 के बाद ड्राइविंग लाइसेंस Renewal कराये जाने से अपात्र माना जावे।	अपात्र
11	354	प्रशांत कुमार तिवारी	अश्वनी तिवारी	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश ड्राइविंग लाइसेंस को दिनांक 21-07-2025 को बनवाया गया है, जो आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 के बाद का है, आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र नहीं होने से अपात्र माना जावे।	अपात्र

12	793	आकाश सिंह	केशव सिंह	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश ड्राइविंग लाइसेंस को दिनांक 23-05-2025 को बनवाया गया है, जो आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 के बाद का है, आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र नहीं होने से अपात्र माना जावे।	अपात्र
13	158	हरीश कुमार राठौर	रामायण प्रसाद राठौर	परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	दावा आपत्ति आवेदन पत्र के साथ वर्तमान में पेश ड्राइविंग लाइसेंस को दिनांक 24-06-2025 को बनवाया गया है, जो आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 15-05-2024 के बाद का है, आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक उनके पास वैध जीवित परिवहन/ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र नहीं था तथा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस स्वप्रमाणित भी नहीं होने से अपात्र माना जावे।	अपात्र

2. आवेदक अमीन कुमार, पंजीयन क्रमांक 904 के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन का नाम पात्र की सूची में है, अपात्र अभ्यर्थियों से ही दावा आपत्ति आहूत किया गया है, अतः आवेदन की ओर से प्रस्तुत दावा आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

3. आवेदक चर्तुर सिंह पिता श्री आशा सिंह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है। तथा उनके द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन/कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है एवं प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस में आवेदन द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

R. Chahal
21/3/26

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति,

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जांजगीर-चांपा (छ०ग०)